Quest Journals
Journal of Research in Humanities and Social Science
Volume 4 ~ Issue 12 (2016)pp: 99-102
ISSN(Online):2321-9467
www.questjournals.org

Research Paper

बालकों के कानूनी अधिकार एवं संरक्षण

मेजर राज कमल दीक्षित,
प्राचार्य, सेठ फूल चन्द बागला कालेज, हाथरस।

सारांश
बालक देश का भविष्य होते हैं। भावी नागरिक होने पर देश का भविष्य उन्हीं पर टिका होता है। इसलिए वे बालक जो देश का भविष्य को निर्धारित करने वाले हैं, उनके विकास में किसी भी प्रकार की दुविधा न आये, सरकार संरक्षण प्रदान करती है। भारत प्राचीनकाल के बाल अधिकारों के प्रति सजग रहा है। बालकों को किसी भी प्रकार के खतरे व जोखिम से सुरक्षा का अधिकार प्रदान करना है। भारतीय संविधान में बालकों के लिए मुख्य प्रावधान सुनिश्चित किये गये हैं। भारतीय संविधान के माध्यम से कमजोर वर्गों के बालकों के लिए भी उदारवादी दृष्टिकोण को अपनाया गया है। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर बालकों के अधिकारों को मान्यता प्राप्त हुई है और यू.एन.ओ. के अधिनियम (1989) के माध्यम से विश्व के सभी देशों के बालकों को संरक्षण प्राप्त हुआ है। इस अध्याय में बालक के मानवाधिकारों पर चर्चा की गई है।

प्रस्तावना

सभी को विदित है कि प्रत्येक मनुष्य को समानता, स्वतंत्रता और जीवन जीने का अधिकार प्राप्त है, जो कि भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों (भाग–3) में वर्णित है। न्यायालय द्वारा भी इन्हें मान्यता प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय के फलस्वरूप यू.एन.ओ. की महासभा द्वारा भी स्वीकार किये गये हैं। इन अधिकारों में स्वच्छ वातावरण में जीवन व्यतीत करने का अधिकार, चिकित्सा का अधिकार, अभिरक्षा में यातनापूर्ण और अपमानजनक व्यवहार न होना, महिलाओं के साथ सम्मानजनक व्यवहार और स्त्री, पुरुष, बच्चे व वृद्धजन के समान अधिकार इत्यादि। ये समस्त अधिकार जन्म से ही प्राप्त होते हैं।[1] इन अधिकारों के हनन होने पर राज्य मानवाधिकार आयोग द्वारा कार्यवाही की जाती है। कल्याणकारी राज्य मानव अधिकारों को सुचारू रूप से स्थापित करने के लिए बाध्य होता है। सुशासन स्थापित करने के लिए प्रत्येक समाज का दायित्व होता है कि मानव अधिकारों को संरक्षण प्राप्त हो।

यह सभी जानते हैं कि बालक देश का भविष्य होते हैं। भावी नागरिक होने पर देश का भविष्य उन्हीं पर टिका होता है। इसलिए वे बालक जो देश का भविष्य को निर्धारित करने वाले हैं, उनके विकास में किसी भी प्रकार की दुविधा न आये, सरकार संरक्षण प्रदान करती है। अब प्रश्न यह उठता है कि बच्चा/बालक कौन है ? भारत की जनगणना के अनुसार, बालक वह है जिसकी आयु 14 वर्ष से कम हो। **'यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ चाइल्ड राइट्स'** बालक की परिभाषा ''बालक, 18 वर्ष की आयु से कम के मनुष्य की तरह तब तक है जब तक बालक पर लगाये गये कानून उसे बड़ा मनुष्य नहीं ठहराता।''[2] यह घोषणा प्रत्येक देश को अपने देश के बालक की आयु का निर्धारण उस देश के कानून के अनुसार निर्धारित करने को कहता है। लेकिन हमारे देश में बालकों की आयु सीमा विभिन्न कानूनों पर निर्धारित होती है। उदाहरणार्थ इंडियन पेनल कोड (आई.पी.सी.) 1860 बालक की आयु 7 वर्ष निर्धारित करती है, मानसिक रूप से विक्षिप्त बालक की आयु 12 वर्ष (सेक्शन 83 आई.पी.सी.), भारतीय संविधान में बालक की आयु अनुच्छेद–21(क) के अनुसार 6 से 14 वर्ष निर्धारित की है। बालश्रम निषेध अधिनियम, 1986 बालक की आयु 14 वर्ष निर्धारित करती है। जुवीनाइल जस्टिस (बालकों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000 में बालक की उम्र 18 वर्ष निर्धारित की है इत्यादि।[3]

भारत में सभी बालकों के लिए वास्तविक मानव अधिकार के पुनर्विचार के लिए 20 नवम्बर को प्रत्येक वर्ष बाल अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। 20 नवम्बर को ही पूरे विश्व में भी वैश्विक बाल दिवस (अन्तर्राष्ट्रीय बाल अधिकार दिवस) के रूप में भी मनाया जाता है।[4] बाल अधिकारों के अनुसार बचपन अर्थात् उनके शारीरिक और मानसिक अपरिपक्वता के दौरान बच्चों के कानूनी सुरक्षा, देखभाल और संरक्षण करना बहुत आवश्यक है। अन्तर्राष्ट्रीय बाल दिवस सर्वप्रथम 1954 में 20 नवम्बर को मनाया गया था। इस दिवस की परिकल्पना एक भारतीय नागरिक वी.के.कृष्णमेनन ने की थी। इस दिवस की परिकल्पना एक भारतीय नागरिक वी.के. कृष्ण मेनन ने की थी। 20 नवम्बर को बाल दिवस इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यू.एन.ओ. ने इस ही दिन बाल अधिकारों की घोषणा की, जो कि 1990 में प्रभावी हुआ। इस अभिसमय में 196 राष्ट्रों ने हस्ताक्षर किए। भारत ने 1992 में इस अभिमसय पर हस्ताक्षर कर अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। इस अभिसमय में 54 अनुच्छेद है। इसमें बहुत से प्रावधान हैं, जैसे जीवन का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विवेक और धर्म का, गोपनीयता, परिवार, घर, गैर–कानूनी और निरंकुश हस्तक्षेप के सुरक्षा प्राप्त करने का अधिकार और साथ ही उच्चतम स्वास्थ्य स्तर प्राप्त करने का अधिकार।[5] यू.एन.ओ. का बाल अधिकार अभिसमय उत्पीड़ित बालकों का

हरसंभव सुरक्षा प्रदान करता है और सदस्य राष्ट्रों से अपेक्षा करता है कि बाल अधिकारों का सम्मान सभी राष्ट्र करें। यह अभिसमय दिव्यांग और शरणार्थी बालकों के लिए भी विशेष अधिकारों की व्यवस्था करता है।

इस अभिसमय के माध्यम से एक बाल अधिकार समिति भी गठित की गई है जो यह उत्तरदायित्व निभाती है कि सदस्य राष्ट्र बाल अधिकारों की प्रगति और विकास के लिए समय–समय पर क्या कदम उठा रहे हैं। प्रत्येक राष्ट्र की हर पांच साल में रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है।[6] लेकिन इन सबके उपरान्त भी बालकों का काफी प्रतिशत अभी भी विद्यालयों में नहीं जाता और आजीविका की तलाश में लगा हुआ है। इसके अतिरिक्त काफी संख्या में कम उम्र में ही लड़के–लड़कियों की शादी कर दी जाती है। वर्तमान समय में आज सभी बाल अधिकारों से परिचित हैं, के उपरान्त में बाल भ्रूण हत्या, बालकों का कुपोषण, उचित चिकित्सा का अभाव और बाल श्रम देखने को मिलता है। इसके लिए राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर और अधिक कठोर कानून और जागरूकता की आवश्यकता है। यह अभिसमय बालकों को शक्ति प्रदान करने का साधन है और एक ऐसे पर्यावरण को निर्मित करता है जिसमें सभी बालक सुखपूर्वक रहे और अपनी क्षमता का विकास कर सकें। यह अभिसमय तीन आधारभूत तथ्यों को मान्यता देता है –

1. वयस्कों की तुलना में बच्चे विशेष मानव अधिकार रखते हैं।
2. वयस्कों की तुलना में बालकों के मानवाधिकारों का स्तर अधिक उच्च है।
3. इनमें से बहुत से अधिकार बच्चों के माता–पिता, समाज एवं राज्य के दायित्व पर निर्भर है। इस अभिसमय में दिये गये बालकों के अधिकारों को तीन समूहों में विभाजित किया गया है, जो इस प्रकार है :–[7]

(।) सिविल और राजनैतिक अधिकार

1. जीवन और विकास का अधिकार।
2. जन्म के बाद नाम व राष्ट्रीयता का अधिकार।
3. बालकों की बात सुनने का अधिकार।
4. अभिव्यक्ति, सूचना, विचार और अन्तर्रात्मा की स्वतंत्रता का अधिकार।
5. समूह बनाने व शांतिपूर्ण तरीके से एकत्रित होने का अधिकार।
6. उनके व्यक्तिगत जीवन की गोपनीयता की सुरक्षा का अधिकार।
7. उत्पीड़न, अमानवीय व्यवहार, मृत्यु और उच्च गैर कानूनी कार्यों जो इनकी स्वतंत्रता को प्रभावित करते हैं, से सुरक्षा का अधिकार।
8. स्वतंत्रता का हनन होने पर उन्हें कानूनी सहायता एवं गरिमापूर्ण व्यवहार पाने का अधिकार।
9. सशस्त्र संघर्ष से सुरक्षा पाने का अधिकार – 15 वर्ष से कम के बालकों को सेना में भर्ती नहीं किया जा सकता है।
10. सशस्त्र संघर्षों के दौरान प्रभावित बच्चों के उत्पीड़न, शोषण से मुक्ति का तथा उनके सामाजिक पुनर्वास का अधिकार।
11. अपराधों के लिए आरोपित बच्चों को उचित कानूनी प्रक्रिया व कानूनी सहायता पाने का अधिकार।

(ठ) आर्थिक अधिकार

1. सामाजिक सुरक्षा से बच्चों को लाभ प्रदान करने का अधिकार।
2. पर्याप्त स्तर का जीवन यापन करने का अधिकार और आवश्यकता पड़ने पर भत्ता पाने का अधिकार।
3. काम के उचित घण्टों और उचित परिस्थितियों में काम पाने का अधिकार।
4. सभी प्रकार के आर्थिक शोषण से सुरक्षा का अधिकार।

(ब) सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार –

1. शिक्षा का अधिकार (प्राथमिक स्तर पर निःशुल्क एवं अनिवार्य)।
2. ऐसी शिक्षा पाने का अधिकार जो बच्चों का सर्वांगीण विकास करे और बच्चों को अपनी सांस्कृतिक और प्राकृतिक मान्यताओं को विकसित करे।
3. बच्चों की देखभाल के लिये उत्तरदायी माता–पिता व अन्य के द्वारा दुर्व्यवहार अथवा मारपीट से सुरक्षा का अधिकार।
4. स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सम्बन्धी स्तरीय सुविधायें पाने का अधिकार।
5. स्वास्थ्य शिक्षा पाने, स्वास्थ्य की देखभाल और हानिकारक, परम्परागत प्रथाओं से मुक्ति पाने का अधिकार।
6. विकलांग बच्चों को विशेष सुरक्षा, शिक्षा और प्रशिक्षण देने का अधिकार।
7. शरणार्थी बच्चों को विशेष सुरक्षा पाने का अधिकार।
8. अल्पसंख्यक बच्चों को अपनी संस्कृति के अनुसार आचरण करने का अधिकार।
9. मादक पदार्थों व अस्वास्थ्यकर दवाओं के प्रयोग से सुरक्षा तथा इनके उत्पादन और वितरण में जबर्दस्ती लगाये जाने से सुरक्षा का अधिकार।
10. यौन शोषण और वैश्यावृत्ति और अश्लीलता सम्बन्धी उत्पीड़न से मुक्ति पाने का अधिकार।
11. बच्चों की बिक्री, अपहरण और व्यापार से मुक्ति पाने का अधिकार।

भारत में बाल अधिकार

भारत प्राचीनकाल के बाल अधिकारों के प्रति सजग रहा है। बालकों को किसी भी प्रकार के खतरे व जोखिम से सुरक्षा का अधिकार प्रदान करना है। भारतीय संविधान में बालकों के लिए प्रमुख प्रावधान सुनिश्चित किये गये हैं। भारतीय संविधान के माध्यम से कमजोर वर्गों के बालकों के लिए भी उदारवादी दृष्टिकोण को अपनाया गया है। अतः बालकों को मौलिक अधिकार के अलावा कुछ अतिरिक्त अधिकार भी प्राप्त हैं जो इस प्रकार है[8] :–

- अनुच्छेद–21(क), 6 से 14 वर्ष के बालकों की अनिवार्य व निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान करता है।
- अनुच्छेद–24, 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों के जोखिमपूर्ण कार्यों को करने से निषिद्ध करता है व सुरक्षा प्रदान करता है।
- अनुच्छेद–39(ड.) तथा (च) में राज्य को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित करता है –
  - बालकों का उनकी उम्र अथवा सामर्थ्य के लिए अनुपयुक्त व्यवसायों में प्रवेश करने की आर्थिक विवशता के कारण दुरूपयोग अथवा मजबूर नहीं किया जाये,
  - बालकों को स्वस्थ ढ़ंग से एवं स्वतंत्रतापूर्ण होने के अवसर एवं सुविधाएं प्रदान की जाऐं,
  - बालकों की शोषण से तथा नैतिक एवं भौतिक असंयम से सुरक्षा की जाए।
- अनुच्छेद–45 राज्य पर यह दायित्व डालता है कि वह 14 वर्ष तक के सभी बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था करे।[9]

इसके अतिरिक्त भारत का संविधान बालकों को वयस्क नागरिक की भांति समानता का अधिकार (अनु. 14), भेदभाव के विरूद्ध अधिकार (अनु. 15), व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार (अनु. 21), जबरन बंधुआ मजदूरी (अनु. 24) और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से कमजोर तबकों के बचाव का अधिकार (अनु. 46) इत्यादि शामिल है।[10]

बाल कल्याण सम्बन्धी अधिनियम

बालक श्रम (प्रतिषेध और विनिमय), अधिनियम, 186 की धारा–3 में संनिर्माण, रखरखाव, परिवहन एवं रेलवे में आहार प्रदान आदि से सम्बन्धित व्यवसायों में 14 वर्ष से कम के बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करती है, जैसे–बीड़ी बनाना, दरियां बुनना, सीमेंट का विनिर्माण, कपड़ा छपाई, माचिस व आतिशबाजियों को विनिर्माण, अभ्रक काटना व खण्डित करना, लोह विनिर्माण, साबुन विनिर्माण, चमड़ा कमाई, ऊन साफ करना, भवन एवं निर्माण उद्योग।

इसी तरह से अन्य अधिनियम, भारतीय कारखाना एवं खान अधिनियम तथा उनके संशोधन, बागान श्रम अधिनियम, 1951, खान अधिनियम 1952, वाणिज्यिक पोत परिवहन अधिनियम, 1958, बी.डी.–सिगार कर्मकार अधिनियम, 1966, ये विशिष्ट नियोजनों में निश्चित आयु से कम के बालकों के नियोजन को पृथक करती है।[11]

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR)

यह आयोग बाल अधिकारों के सार्वभौमिकता और अखण्डता के सिद्धान्तों पर बल देता है। आयोग 0 से लेकर 18 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बालकों की सुरक्षा को समान महत्व देता है। छब्ब्ब् की स्थापना मार्च 2007 को बाल अधिकार सुरक्षा आयोग अधिनियम, 2005 को संसद के अधिनियम के तहत एक संवैधानिक निकाय के रूप में की गई। यह आयोग बाल अधिकारों के उल्लंघन की जांच करता है और आतंकवाद, साम्प्रदायिक हिंसा, दंगे, प्राकृतिक आपदाओं, घरेलू हिंसा, एच.आई.वी. एड्स, देह व्यापार, दुर्व्यवहार, उत्पीड़न तथा शोषण, पोनोग्राफी तथा वैश्यावृत्ति द्वारा प्रभावित बालकों के उन कारकों की जांच करना जो उनके अधिकार का वंचन करते हो व उपयुक्त उपचारात्मक उपायों की अनुशंषा करता है। इसके साथ ही यह आयोग बाल अधिकारों के क्षेत्रों में अनुसंधान का संचालन भी करता ळें

बाल विकास के लिए प्रमुख योजनाऐं –

- **आंगनबाड़ी सेवा योजना –** इस योजना का उद्देश्य छः साल से कम आयु के बच्चों का समग्र विकास करना है।
- **किशोरी योजना –** इस योजना का उद्देश्य किशोरियों को सुगमता प्रदान करना, शिक्षित करना और सशक्त बनाना, ताकि पोषण एवं स्वास्थ्य स्तर में सुधार के माध्यम से उन्हें आत्मनिर्भर तथा जागरूक नागरिक बनाया जाये।
- **राष्ट्रीय शिशु गृह योजना –** इस योजना का उद्देश्य कामकाजी माताओं हेतु उनके छोटे बच्चों के लिये एक सुरक्षित स्थान प्रदान करना है। यह प्रयास महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक प्रभावशाली कदम है। साथ ही यह 6 माह से 6 साल तक के बालकों के संरक्षण और विकास की दशा में भी एक उल्लेखनीय पहल है।
- **बाल संरक्षण सेवा –** यह योजना कानून का उल्लंघन करने वाले बालकों की देखरेख एवं संरक्षण के लिए सुरक्षित एवं निरापद परिवेश प्रदान करता है। सामाजिक संरक्षण में व्यापक उपायों के माध्यम से बालकों की उपेक्षा, शोषण, परित्याग तथा परिवार आदि से अलगाव का मार्ग प्रशस्त करने वाली कार्यवाहियों को रोकना, इस उद्देश्य में शामिल है। गैर–संस्थानिक देखरेख पर बल देना, सरकार एवं सभ्य समाज के मध्य साझेदारी के लिए मंच विकसित करना है।[14]

बाल संरक्षण कानून

1. बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 जो 1 नवबर, 2007 से लागू है।
2. बालश्रम (संशोधन) अधिनियम, 2016, बाल श्रम अधिनियम, 1986 को संशोधित किया गया।
3. 86वें संविधान संशोधन, 2002 के द्वारा संविधान के अनुच्छेद–21क को मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया है। इसके अन्तर्गत 6–14 वर्ष के बालकों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है।
4. पोक्सो (च्ब्ब्) अधिनियम, 2012, यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण के लिए बनाया गया यह अधिनियम है। इस कानून में अलग–अलग अपराध के लिए अलग–अलग सजा तय की गई है। इस कानून के तहत सभी अपराधी विशेष न्यायालय में कैमरे के समकक्ष माता–पिता की मौजूदगी में होती है।
5. किशोर न्याय अधिनियम, 2015, जुवेनाइल अपराध में संलिप्त बच्चों की देखभाल और संरक्षण के लिए यह अधिनियम कार्यरत है। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को नाबालिगों को नियमित अदालत ले जाने या सुधार केन्द्र ले जाने का फैसला लेने का अधिकार मिलेगा।[15]

निष्कर्ष

निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर बालकों के अधिकारों को मान्यता प्राप्त हुई है और यू. एन.ओ. के अधिनियम (1989) के माध्यम से विश्व के सभी देशों के बालकों को संरक्षण प्राप्त हुआ है। विभिन्न कानूनों और योजनाओं को सफल बनाने के लिए आवश्यक है कि बालकों के अधिकारों और समस्याओं के प्रति समाज को जागरूक बनाया जाये। बालक प्रत्येक देश की विकास की नींव होते हैं। अर्थात् विश्व में सभी देशों का भविष्य तभी सुधर सकता है जब बालक स्वस्थ, सुरक्षित और शिक्षित होंगे। अतः राज्य का दायित्व है कि प्रत्येक बालक को इस योग्य बनाया जाये कि वह अपना विकास पूरी तरह कर सके तथा अपनी क्षमता को पूर्ण रूप से पहचान सके। किसी भी बालक का विकास उसी समय हो सकता है जब वह पूरी तरह से सुशिक्षित हो। शिक्षा बालकों को यह अधिकार देता है कि वह शान के साथ जीवन जी सके और स्वयं की व देश की उन्नति का माध्यम बन सके।

संदर्भ

1. https://www.dhyeyaias.com
2. यादव, वीरेन्द्र सिंह, नई सहस्राब्दी में मानवाधिकार के विविध संदर्भ, ओमेगा पब्लिकेशन, नई दिल्ली, पृ.सं. 171
3. अनीश. एम. (2009), डिनायल ऑफ एजुकेशन मोस्ट कॉमन प्रोब्लम फेस्ड बाई.एच.आई.वी. अफेक्टेड चिल्ड्रेन, https://infochangenindia.org से 29 जनवरी, 2016 को लिया गया
4. https://www.hindikiduniya.com
5. https://www.dhyeyaias.com
6. सक्सेना अलका, मानवाधिकारों की मानवीय संरक्षा में आस्था (लेख) नई सहस्राब्दी में मानव अधिकारों के विविध संदर्भ, ओमेगा प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ. 210
7. शेण्ड, डॉ. हरिदास राम जी, बालश्रम, बाल अपराध एवं समाधान, पृ.सं. 46–67
8. बसु, डी.डी., भारत का संविधान, मौलिक अधिकार, भाग–
9. भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व, भाग–प्ट
10. उपरोक्त
11. दीवान पारस, चाइल्ड एण्ड द लॉ, डिपार्टमेन्ट ऑफ ला, पंजाब यूनिवर्सिटी, 1980
12. https://hi.vikaspeda.in>social-welf...
13. उपरोक्त
14. https://www.dhyeyaias.com/hindi/current-affairs/perfect-7-magazine/child-rights-in-india.
15. उपरोक्त